इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2015—पौष 10, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्र. 7386-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा ५० का संशोधन.

३. धारा १६२ का संशोधन.

४. धारा १६६ का संशोधन.

५. धारा २४७ का संशोधन.

६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक ३० दिसम्बर, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ दिसम्बर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

धारा ५० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५० में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) मण्डल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से, किसी ऐसे मामले का, जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके या उनके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें उनको कोई अपील न होती हो, अभिलेख मंगा सकेगा और यदि यह प्रतीत होता हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व अधिकारी,—

(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या

(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) ने अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है,

तो, यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन, किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाहियों का अन्तिम रूप से निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त बना रहता है, तो न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा.";

(दो) उपधारा (२) तथा (३) में, शब्द ''या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी'' स्थापित किए जाएं; तथा

(तीन) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(६) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(तीन) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों तो मण्डल, यथास्थिति, आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा या ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;

(चार) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई हों तो मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त, यथास्थिति, कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक, ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा अथवा ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.''.

धारा १६२ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १६२ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनधिकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए, कृषिक प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में और अकृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जा सकेगा.''.

धारा १६६ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १६६ में, उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''तथा (२)'' का लोप किया जाए.

धारा २४७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २४७ में, उपधारा (४) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १)'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०)'' स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

६. (१) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्र. 7386-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2015

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2015

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.

2. Amendment of Section 50.

3. Amendment of Section 62.

4. Amendment of Section 166.

5. Amendment of Section 247.

6. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2015

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2015

[Received the assent of the Governor on the 30th December, 2015 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st December, 2015.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Levenue Code, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Sixth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2015. **Short title.**

2. In Section 50 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act), **Amendment of Section 50.**

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) The Board may, at any time on its motion or on an application made by any party or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the collector

or the Settlement Officer may, at any time on his own motion, call for the record of any case which has been decided or proceedings is which an order has been passed by any Revenue Officer subordinate to it or him and in which no appeal lies thereto, and if it appears that such subordinate Revenue Officer,—

(a) has exercised a jurisdiction not vested in him by this Code; or

(b) has failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(c) has acted in the exercise of his jurisdiction illegally or with material irregularity,

the Board or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer, as the case may be, make such order in the case as it or he thinks fit :

Provided that the Board or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer shall not, under this Section, vary or reverse any order made, or any order deciding an issue, in the course of the proceeding, except where—

(a) the order, if it had been made in favour of the party applying for revision to the Board, would have finally disposed of the proceedings, or

(b) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause reparable injury to the party against whom it was made.";

(ii) in sub-sections (2) and (3), for the words "or the Collector or the Settlement Officer" wherever they occur, the words "or the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer" shall be substituted; and

(iii) for sub-section, (6), the following sub-section shali be substituted, namely:—

"(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(i) where proceedings in respect of any case have been commenced by the Board under sub-section (1), no action shall be taken by the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer in respect thereof;

(ii) where proceedings in respect of any such case have been commenced by the commissioner or the Settlement Commissioner under sub-section (1), no action, shall be taken by the Collector or the Settlement Officer in respect thereof;

(iii) where proceedings in respect of any such case have been commenced by the commissioner or the settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer under sub-section (1), the Board may either refrain fronr taking any act on under this Section in respect of such case until the final disposal of such proceedings by the Commissioner or the Settlement Commissioner or the Collector or the Settlement Officer, as the case may be, or may withdraw such proceedings and pass such order as it may deem fit;

(iv) where proceedings in respect of any such case have been commenced by the Collector or the Settlement Officer under sub-section (1), the Board or the Commissioner or the Settlement Commissioner may either refrain from taking any action under this Section in respect of such case until the final disposal of such proceedings by the Collector or the Settlement Officer, as the case may be, or may withdraw such proceedings and pass such order as it may deem fit.".

Amendment of Section 162.

3. In section 162 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Notwithstanding anything contained in Section 248 and subject to rules made in this behalf, any land belonging to the State Goverment in such areas as notified in the official Gazette by the State Government, which is in unauthorized possession, may be disposed of for agricultural purposes in Bhumiswami rights and non-agricultural purposes, in Government lessee rights by the Collector to such extent and on payment of such amount as may be prescribed.".

Amendment of Section 166.

4. In Section 166 of the principal Act, in sub-section (3), the word, bracket and figure "and (2)" shall be omitted.

Amendment of Section 247.

5. In Section 247 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, figures and bracket "the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)", the words, figures and bracket "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted.

Repeal and Saving.

6. (1) The Madhya Pradesh Land Revenue Code (Second Amendment) Ordinance, 2015 (No. 5 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.